तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित :–

श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
श्रीमती पूनम माथुर, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक राज्य की ओर से ।

.....

निर्णय **दिनांक**

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर की अपील संख्या 116/2006 में दिनांक 20.04.2007 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के न्यायालय में प्रतिवादीगण/रेस्पोण्डेण्ट्स के विरूद्ध एक वाद इस आशय का पेश किया था कि वादग्रस्त आराजी साबिका खसरा नंबर 25 मिन रकबा 16 बिस्वा व खसरा नं. 26 रकबा 3.14 बिस्वा हाल खसरा नंबर 30 रकबा 4.10 बिस्वा ग्राम देराठू में अवस्थित है, जिस पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । साबिका खसरा नंबर 26 रकबा 3.14 में से केवल 9 बिस्वा भूमि भौमा वल्द जवाना की खातेदारी में दर्ज की गई । इस खसरा नंबर की संपूर्ण भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जाने चाहिये । किंतु वर्किंग जमाबन्दी में विवादित आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई है । अतः वाद पेश कर निवेदन किया गया कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । राज्य सरकार की ओर से जवाबदावा पेश कर वादीगण को अतिक्रमी की संज्ञा देते हुए उसका वाद खारिज करने का अनुरोध किया गया था । विचारण न्यायालय ने अन्वीक्षा करने के बाद वाद को खारिज कर दिया । दिनांक 19.9.2006 का विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री प्रथम अपील के माध्यम से चुनौतीग्रस्त किया गया किंतु विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने दिनांक 20.4.2007 के निर्णय एवं डिक्री से वह अपील भी खारिज कर दी थी । इसलिये यह द्वितीय अपील प्रस्तुत हुई है ।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

4. विद्वान अधिवक्ता वादीगण अपीलांट्स की दलील है कि

प्रश्नगत साबिका खसरा नंबर 26 की 3.14 बिस्वा संपूर्ण भूमि पर वादीगण अपने पूवर्जो के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं किंतु इसका एक छोटा अंश यानि कि मात्र 9 बिस्वा भूमि को भोमा के नाम खातेदारी में दर्ज किया गया है तथा शेष भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया है । भू–प्रबंध विभाग बिना किसी सक्षम न्यायालय या अधिकारी के आदेश के पूर्व के इन्द्राजात को यह भूमि सिवायचक दर्ज करने में सक्षम नहीं था । कब्जा के आधार पर भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के बाद वादीगण इस भूमि के कानूनन खातेदार हो गये हैं । विद्वान विचारण न्यायालय ने एवं फिर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेकार्ड पर उपलब्ध जमाबंदियों व खसरा गिरदावरियों को दरकिनार करके वादीगण का वाद व अपील खारिज की है । इसलिये वादीगण ना केवल बॉय ऑपरेशन ऑफ लॉ बल्कि एडवर्स पजेशन के आधार पर भी इस भूमि के काश्तकार हो चुके हैं । अतः इस आशय की घोषणा पारित करने में किसी प्रकार की विधिक रूकावट नहीं थी । फिर भी दोनों अधिनस्थ न्यायालयों ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का उपयोग किये बगैर वाद खारिज करके तात्विक त्रुटियां की हैं । अतः अपील स्वीकार की जाकर वाद डिक्री किया जावे।

5. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्रीयों को तथ्यों एवं विधि की परिधि में होना बताया है । उनकी यह भी दलील है कि जो भी राजस्व रेकार्ड वादीगण ने प्रस्तुत किये हैं वह देखने मात्र से ही संदेहास्पद हैं क्योंकि जमाबन्दियों एवं गिरदावरियों में न केवल कांट छांट है बल्कि सफेदा लगाकर सुसंगत एंट्रीज को मिटा भी दिया गया है ।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया । पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. हम विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हैं कि प्रस्तुत किये गये राजस्व रेकार्ड में अवांछित कांटा छांटी की गई है तथा सफेदा लगाकर कुछ एंट्रीज को मिटा भी दिया गया है । ऐसा क्यों किया गया है व किसने किया, इसका कोई वर्णन दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में नहीं है । विद्वान अधिवक्ता वादीगण/अपीलांट्स से पूछा गया तो वह भी इस बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाये । चाहे जैसी भी स्थिति हो, दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के तथ्यों संबंधी यह समवर्ती निष्कर्ष है कि प्रश्नगत खसरा नंबर 26 की रकबा

3.14 बिस्वा भूमि में से केवल 9 बिस्वा भूमि ही भोमा की खातेदारी में दर्ज की गई थी तथा शेष भूमि सिवाय चक दर्ज है । दोनों अधिनस्थ न्यायालय सिवायचक दर्ज की गई इस भूमि में वादीगण के कोई हक व अधिकार निहित होना नहीं मानते हैं बल्कि इस बारे में दोनों के समवर्ती निष्कर्ष हैं कि खसरा नंबर 26 की शेष बची भूमि पर वादीगण यदा कदा अतिक्रमण करते रहे हैं तथा इनका या इनके पूर्वजों का निरंतर कब्जा काश्त साबित नहीं है । इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिये गये नोटिस प्रदर्श 6 से भी वादीगण को अतिक्रमी होने का निष्कर्ष निकाला गया है । दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के तथ्यों संबंधी यह निष्कर्ष ना तो illegal हैं और ना ही perverse हैं । मौजूदा अपील के मीमो के पैरा संख्या 6 में वादीगण /अपीलांट्स ने एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदारी क्लेम की है । इसका एक मात्र यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण जिन जमाबंदियों के आधार पर स्वयं को खातेदार होना मान रहे हैं वह जमाबंदियां वास्तव में उनको सपोर्ट नहीं करती है। जहां तक एडवर्स पजेशन का प्रश्न है, ऐसी प्ली कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं लेता है जो स्वंय को जमाबंदी के आधार पर खातेदार मानता हो । इसलिये वादीगण के अभिवाक् परस्पर विरोधाभासी हैं , उनकी साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी है, उनकी ओर से प्रस्तुत दलीलें विरोधाभासी हैं । वैसे भी कृषि भूमियों में खातेदारी अधिकार एडवर्स पजेशन के आधार पर क्लेम ही नहीं किये जा सकते हैं । इस बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में कोई प्रावधान नहीं हैं कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी दे दी जाए । राजस्व मण्डल की वृहद पीठ का 2018 आरआरडी 714 **सरजू बनाम अमृतलाल** का न्यायिक दृष्टांत भी यही कहता है कि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं । इसलिये दोनों अधिनस्थ न्यायालयों ने वादीगण का क्लेम अस्वीकार करके किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। इस अपील में विधि का कोई प्रश्न निहित नहीं है अपील काबिले खारिज है ।

8. अतः यह अपील खारिज की जाती है ।

9. निर्णय सुनाया गया । पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष